

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2013-14/ST-142/ 766


दिनांक :- 15/11/14

कार्यालय आदेश

बोर्ड द्वारा सेवाकर बाबत जारी किए गये 'परिपत्र' क्रमांक 419 दिनांक 12.09.13, क्रमांक 602 दिनांक 08.11.2013 एवं परिपत्र क्रमांक 649 दिनांक 04.12.2013 द्वारा सेवाप्रदाता (Service Provider) एवं सेवाप्राप्तकर्ता (Service Receiver) के रूप में सेवाकर दायित्वों के निर्वहन बाबत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की दिनांक 31.12.2013 तक आपके कार्यालय द्वारा की गई अनुपालना 'संलग्नक 1 व 2' में तैयार कर दिनांक 24/01.2014 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आगामी माह से उक्त अनुपालना पृथक पत्रावली में मासिक खाते के साथ संलग्न कर प्रेषित की जानी है।

भवदीय,


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय-जयपुर, द्वितीय-जोधपुर एवं ए.वी.एस. एल. सी., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत।
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त (समस्त)
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड (समस्त)
6. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के ई-मेल एवं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
7. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड

'परिपत्र' क्रमांक 602 दिनांक 08.11.2013 के अनुसार वांछित अनुपालना प्रतिवेदन

	विन्दु संख्या	विषय एवं वांछित अनुपालना	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना की कार्यअवधि	अनुपालना बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र	अनुपालना की स्थिति	पत्रावली पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	3(1)	नवीन योजनाओं की पुस्तिकाओं में सेवाकर विषयक प्रावधान	उप-आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	नवीन योजना प्रारम्भ करने पर। (एक बारीय)	पंजीकरण योजना पुस्तिका की कम्पिलीमेंट्री प्रति संलग्न करें।		
2	3(2)	आरक्षण / आवंटन पत्रों में देय सेवाकर राशि दर्शाना	वृत्त-सम्पदा प्रबन्धक स्वतन्त्र खण्ड में सहायक आवासन अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/सहायक/लेखाकार	लगातार	आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र की दो-दो छायाप्रतियाँ (नमूना हेतु)		
3	3(3)	पूर्व में जारी किए जा चुके आरक्षण आवंटन पत्रों के आवंटियों को बकाया सेवाकर जमा कराने बाबत पावती स्पीड पोस्ट से पत्र भिजवाना।	वृत्त-सम्पदा प्रबन्धक स्वतन्त्र खण्ड में सहायक आवासन अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/सहायक/लेखाकार	तत्काल (एक बारीय)	(i) पूर्व में जारी आरक्षण/ आवंटन पत्रों की कुल संख्या एवं प्रेषित नोटिस की एक नमूना छायाप्रति। (ii) कितने नोटिस, किस अवधि में भिजवाये गये हैं? की सूचना।		
4	3(4)	मण्डल के कैंरा काउन्टरों पर सेवाकर संबंधी सूचना पट्ट लगवाना	उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता	तत्काल (एक बारीय)	लगाये गये सूचना पट्ट की एक फोटो (5*8)		
5	3(5)	संग्रहण बैंक शाखाओं में सेवाकर संबंधी सूचना पट्ट लगवाना	उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता	तत्काल (एक बारीय)	लगाये गये सूचना पट्ट की एक फोटो (5*8)		
6	3(6)	ई-मित्र काउन्टरों पर सेवाकर संबंधी सूचना पट्ट लगवाना	उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता	तत्काल (एक बारीय)	लगाये गये सूचना पट्ट की एक फोटो (5*8)		
7	3(9)	(i) कब्जे से पूर्व जमा कराई गई राशि पर चूक की स्थिति में आवेदक/आवटी को नोटिस	वृत्त-सम्पदा प्रबन्धक, स्वतन्त्र खण्ड में सहायक आवासन अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/सहायक/लेखाकार	तत्काल	जारी किये गये नोटिसों की कुल संख्या व कुल राशि तथा नमूना नोटिस की एक छाया प्रति		

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड

'परिपत्र' क्रमांक 602 दिनांक 08.11.2013 के अनुसार वांछित अनुपालना प्रतिवेदन

	बिन्दु संख्या	विषय एवं वांछित अनुपालना	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना की कार्यअवधि	अनुपालना बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र	अनुपालना की स्थिति	पत्रावली पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	3(10)	बिन्दु में वर्णित 'संलग्नक-1' में विवरण पत्र तैयार करना। बिन्दु में वर्णित 'संलग्नक-2' के अनुसार सेवाकर जमा कराने बाबत नोटिस जारी करना	वृत्त में EM/AHO/AO(R), खण्ड में OS/Asstt/Accountant कब्जे से पूर्व-सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ, कब्जे के पश्चात्-वसूली प्रकोष्ठ	तत्काल परिपत्र जारी होने की दिनांक से 1 माह	तैयार किये गये विवरण पत्र की छाया-प्रति जारी किये गये नोटिसों की कुल संख्या व कुल राशि तथा नमूना नोटिस की एक छाया प्रति		
9	3(11)	सेवाकर जमा न होने का (i)से (v)की स्थितिवार विवरण पत्र	कब्जे से पूर्व-सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ, कब्जे के पश्चात्-वसूली प्रकोष्ठ	परिपत्र जारी होने की दिनांक से 1 माह	तैयार किये गये विवरण पत्र की छाया-प्रति		
10	4(1)	अप्रैल -13 से अक्टूबर-13 तक जमा हुई राशि का विवरण पत्र तैयार कर संबंधित खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना।	वृत्त में लेखाधिकारी(वसूली)/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार	20.11.2013 तक एवं प्रत्येक माह अन्तिम कार्य दिवस	तैयार किये गये विवरण पत्र की छाया-प्रति		
11	4(2)	विभिन्न मर्दा में जमा राशियों की जे.वी. पारित करना	खण्ड- आवासीय अभियन्ता / लेखाकार	30.11.2013 एवं प्रत्येक माह अन्तिम कार्य दिवस	पारित जे.वी. की छाया-प्रतियाँ		
12	4(3)	खण्डवार पृथक संग्रहण खाता खोलना	आवासीय अभियन्ता	तत्काल	आवासीय अभियन्ता के नाम से खोले गये संग्रहण खाते के Statement की छाया-प्रति		
13	4(4)	आवंटन / आरक्षण पत्रों में दर्शित कर देय सेवाकर वसूलना	वृत्त-सम्पदा प्रबन्धक/AHO/OS खण्ड-OS/Asstt/Acctt	तत्काल एवं लगातार	आवंटन / आरक्षण पत्र की नमूना छाया-प्रति		
14		सितम्बर 2013 तक की सेवाकर की रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति।	वृत्त में AO/AAO/Acctt. खण्ड में RE/AAO/Acctt.	तत्काल	प्रस्तुत रिटर्न की एक प्रति।		

* खण्ड कार्यालय, जहाँ सहायक लेखाधिकारी पदस्थापित हैं, वहाँ लेखाकार के स्थान पर सहायक लेखाधिकारी उक्त पालना हेतु जिम्मेदार होंगे।

Asstt./OS/Acctt.

AHO/AAO

EM/AO (R)

Sign. of Dy.HC/RE

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड

परिपत्र क्र. ST-142/649 दिनांक 04.12.2013 की पालना रिपोर्ट

क्र. सं.	बिन्दु संख्या	विषय एवं वांछित अनुपालना	अनुपालना हेतु सम्बन्धित अधिकारी *	अनुपालना हेतु नियत अवधि	अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र	अनुपालना की स्थिति	पत्रावली पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1	01.07.12 से 10.11.13 की अवधि में संवेदकों को किए गये भुगतानों से वसूली योग्य सेवाकर राशि की गणना के विवरण पत्र तैयार करना।	लेखाकार/आवासीय अभियन्ता	तत्काल	विवरण पत्र की छाया प्रति (एक बार)		
2	4	वर्तमान बिल(Current Bill) में से संवेदक से वसूली योग्य बकाया सेवाकर की राशि की कार्यवाही	लेखाकार/आवासीय अभियन्ता	संवेदक से वर्तमान बिल प्रस्तुत होने पर अथवा संवेदक की जमा राशि से कटौती।	परिपत्र के संलग्नक 2 व 3 की छायाप्रति(सम्पूर्ण बकाया वसूली कर लेने तक)		
3	7	संवेदकों से वसूली गई सेवाकर की राशि जमा कराना	लेखाकार/आवासीय अभियन्ता	प्रत्येक आगामी माह की 5 तारीख एवं मार्च माह का सर्विस टैक्स 31 मार्च तक जमा कराना।	जमा करवाने के चालान की छाया-प्रति		
4	12 (i)	माप पुस्तिका में प्रविष्टि करना।	लेखाकार/आवासीय अभियन्ता	लगातार	Abstract वाली रूप पुस्तिका में जहाँ प्रविष्टि की गई है, उस पृष्ठ की छाया-प्रति।		
5	13	पंजीकृत सहकारी समिति/कम्पनी के मामले में 01.07.12 से 10.11.13 के मध्य किए गये भुगतानों से सेवाकर को पृथक कर, लेखा पुस्तकों में दर्ज करने बाबत विवरण पत्र व जे.वी. पारित करना।	लेखाकार/आवासीय अभियन्ता एवं वृत्त में सहायक लेखाधिकारी/D.H.C	तत्काल (एक बारीय)	विवरण पत्र एवं पारित जे.वी. की समस्त छाया-प्रतियाँ		

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड

परिपत्र क्र. ST-142/649 दिनांक 04.12.2013 की पालना रिपोर्ट

क्र. सं.	बिन्दु संख्या	विषय एवं वांछित अनुपालना	अनुपालना हेतु सम्बन्धित अधिकारी *	अनुपालना हेतु नियत अवधि	अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र	अनुपालना की स्थिति	पत्रावली पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	14	निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य मदों में 01.07.12 से 31.10.13 तक किये गये भुगतानों में सम्मिलित सेवाकर को पृथक कर लेखा पुस्तकों में दर्ज करना व जे.वी. पारित करना।	लेखाकार/R.E. वृत्त में सहायक लेखाधिकारी/D.H.C	तत्काल (एक बारीय)	विवरण पत्र एवं पारित जे.वी. की समस्त छाया-प्रतियाँ।		
7	2	01.07.12 से नवम्बर 13 की अवधि में आवंटियों द्वारा जमा करायी गई राशियों पर वसूली योग्य सेवाकर की गणना के प्रपत्र।	लेखाकार/आवारीय अभियन्ता	तत्काल (एक बारीय)	विवरण पत्र की छाया प्रति (एक बार)		
8	अति महत्वपूर्ण	कुल चुकाये गये व प्राप्त किये गये सेवाकर का विवरण पत्र, व आधिक्य (Surplus) राशि को दिनांक 31.03.14 तक जमा करना।	लेखाकार/R.E. वृत्त में सहायक लेखाधिकारी/D.H.C	31.03.2014 को	विवरण पत्र व जमा चालान की छाया-प्रति		

* खण्ड कार्यालय, जहाँ सहायक लेखाधिकारी पदस्थापित हैं, वहाँ लेखाकार के स्थान पर सहायक लेखाधिकारी उक्त पालना हेतु जिम्मेदार होंगे।

Accountant

AAO/AO (R)

Dy. HC/RE
Rajasthan Housing Board, Circle/Div.....